राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
02/2023	02.01.2023	10.10.2025

बउनवान

निप्पूसिंह पुत्र मदनसिंह, निवासी गोलाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।

..अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा, जिला दौसा।

..रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित

1. अभिभाषक अपीलांट – श्री खेमसिंह गुर्जर।
2. रेस्पोन्डेन्ट – तहसीलदार बैजूपाडा।

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण दिनांक 23.03.2003 द्वारा ग्राम पंचायत गोलाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. यह अपील अपीलांट की ओर से जरिये अधिवक्ता इस आशय की पेश की है कि अपीलांट ग्राम गोलाडा, तहसील बैजूपाडा का निवासी है। विवादित आराजी खाता सं. नया 20, पुराना 19 के खसरा सं. 948 रकबा 0.47 हैक्टे. ग्राम गोलाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित है। नकल जमाबंदी संवत् 2074–2077 वर्ष 2022 संलग्न है। विवादित आराजी पर अपीलांट के साथ अन्य सहखातेदारान भी हैं जो सभी अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होते चले आ रहे हैं। अपीलांट के पिता की मृत्यु के उपरान्त ग्राम पंचायत गोलाडा ने दिनाँक 23.03.2003 को जो विरासत का नामान्तकरण खोला था, उसमें अपीलांट का नाम गाँव वालों से पूछकर तथा अपीलांट से बिना पूछे ही गाँव की बोल चाल का नाम जगबहादुरसिंह के नाम से खोल दिया जो कि गलत है जबकि अपीलांट का वास्तविक नाम निप्पूसिंह पुत्र मदनसिंह है। अपीलांट का वास्तविक नाम निप्पूसिंह पुत्र मदनसिंह अन्य समस्त दस्तावेजात में जैसे– परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, वोटर लिस्ट आदि समस्त दस्तावेजात में अपीलांट का नाम निप्पूसिंह पुत्र मदनसिंह ही है लेकिन ग्राम पंचायत गोलाडा ने विरासत का नामान्तकरण दिनांक 23.03.2003 में सहवन से अपीलांट से बिना पूछे जगबहादुरसिंह पुत्र मदनसिंह के नाम से नामान्तरकरण खोल दिया जो गलत है। अपीलांट पढ़ा लिया व्यक्ति नहीं है, केवल साक्षर है। इस कारण आज दिन तक अपीलांट को जमाबंदी में गलत नाम का पता नहीं लग सका। अब हल्का पटवारी द्वारा जानकारी मिली कि जमाबन्दी खाता संख्या नया 20, पुराना 19 के खसरा सं. 948 रकबा 0.47 हैक्टे. में अपीलांट का नाम जगबहादुरसिंह हो रहा है जिसकी बाबत् अपीलांट ने प्रार्थना पत्र तहसीलदार बैजूपाडा को दिया और निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अपीलांट के नाम को सही फरमाया जाये लेकिन तहसीलदार बैजूपाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

द्वारा साफ इन्कार करने की वजह से अपीलांट को अपने जमाबन्दी में अपना नाम सही करवाने हेतु अपील पेश करना लाजिमी आया है। अपीलांट को अपनी भूमि में अपना नाम सही करवाकर अपने नाम से विद्युत कनैक्शन एवं अन्य कार्यों के लिये नाम शुद्ध करवाना आवश्यक हुआ है। इसलिये अपील पेश है। अपील का श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है । अपील नियत कोर्ट फीस पर पेश है। अपील पटवारी हल्का द्वारा जानकारी दिये जाने से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अन्य सहखातेदारान का हिस्सा प्रभावित नहीं होने के कारण उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अपीलांट का नाम जगबहादुरसिंह पुत्र मदनसिंह जो कि गलत है, के स्थान पर निप्पूसिंह पुत्र मदनसिंह जो सही है, फरमाने के आदेश पारित किये जावे।

2. अपील को दर्ज रजिस्टर करके रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किया गया। रेस्पोन्डेन्ट तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा अपील की तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक 687 दिनांक 17.04.2025 प्रस्तुत की गयी कि ग्राम गोलाडा में नामांतरकरण सं. 166 दिनांक 23.03.2003 को विरासत का नामांतरकरण दर्ज कर पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया जिसमें मृतक मदनसिंह पुत्र सुल्तान हिस्सा 1/2 जाति राजपूत की विरासत का नामांतरकरण वारिसान जगबहादुर सिंह सतवीर सिंह पिता मदनसिंह शारदा देवी पत्नी मदन सिंह हिस्सा 1/2 शेष जमाबंदी बदस्तूर नामांतकरण फैसल हुआ जो कि रिपोर्ट के साथ प्रतिलिपि संलग्न है। वादी द्वारा वाद में बताया गया है कि गॉव वालों से पूछकर निप्पूसिंह पुत्र मदनसिंह के स्थान पर गॉव के बोलचाल के नाम जगबहादुरसिंह पुत्र मदनसिंह के नाम खोल दिया जो कि गलत दर्ज किया है। वादी द्वारा बताया गया कि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम निप्पूसिंह पुत्र मदनसिंह अंकित है जिसमें मौके पर वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जॉच की जिसमें दस्तावेज राशनकार्ड, राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि सभी दस्तावेज में निप्पूसिंह पुत्र मदनसिंह के नाम अंकन है जिसकी मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि वादी का नाम निप्पू सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत ही है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का विवरण लिखा है जिसमें राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम गोलाडा की जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता सं. 20 खसरा नम्बर 948/0.47 एवं खाता सं. 129 खसरा सं. 947/0. 03 में जगबहादुरसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत हिस्सा मुताबिक जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर मजमे आम में उपस्थित मौतबिरानों ने बताया कि खातेदारी भूमि में दर्ज नाम जगबहादुरसिंह एवं दस्तावेजों में अंकित नाम निप्पूसिंह दोनों ही एक व्यक्ति के नाम है। वादी के दस्तावेज, मौका रिपोर्ट मुताबिक निप्पूसिंह पुत्र मदनसिंह किये जाने में प्रतिवादी राजस्थान सरकार के जरिये तहसीलदार बैजूपाडा को कोई आपत्ति नहीं है।

3. अपील पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. अपील पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों यथा – तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट दिनांक 17.04.2025, ग्राम पंचायत गोलाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 166 आदेश दिनांक 05.04.2003 का अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

किया गया। ग्राम पंचायत गोलाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 166 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण के द्वारा ग्राम पंचायत गोलाडा द्वारा मदनसिंह पुत्र सुलतान सिंह के फौत होने पर उसके वारिसान जगबहादुर सिंह सतवीर सिंह पिता मदनसिंह शारदा देवी पत्नी मदन सिंह के नामों की प्रविष्ठी जमाबंदी में दर्ज की गयी।

5. तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट दिनांक 17.04.2025 के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम गोलाडा के नामांतरकरण सं. 166 दिनांक 23.03.2003 के विरासत नामांतरकरण के जरिये जगबहादुरसिंह पुत्र मदनसिंह दर्ज हो गया जबकि वादी के दस्तावेज, मौका रिपोर्ट मुताबिक निप्पूसिंह पुत्र मदनसिंह किये जाने में प्रतिवादी राजस्थान सरकार के जरिये तहसीलदार बैजूपाडा को कोई आपत्ति नहीं है।

6. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत गोलाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 166 आदेश दिनांक 23.03.2003 में जगबहादुरसिंह पुत्र मदनसिंह का विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटि हुई है जिसको दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। इसलिये उक्त नामान्तरकरण संख्या 166 को अपास्त किया जाना उचित है।

आदेश

7. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गोलाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 166 आदेश दिनांक 23.03.2003 को निरस्त किया जाता है और प्रकरण को इस निर्देश के साथ तहसीलदार बैजूपाडा को प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार बैजूपाडा उक्त नामान्तरकरण सं. 166 दिनांक 23.03.2003 से सम्बंधित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। तहसीलदार बैजूपाडा को आदेश की पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

9. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 10.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)